an>

Title: The Minister of Steel and Mines laid a statement regarding progress on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015.

खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): अध्यक्ष महोदया, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मुझे एमएमडीआर एक्ट में संशोधन स्वरूप उत्साहवर्धक परिणामों पर इस सदन में वक्तव्य देने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था तथा इसे 12.01.2015 से लागू करने के लिए दिनांक 27 मार्च, 2015 को अधिसूचित किया गया था। संशोधनों द्वारा खनिज रियायत केवल नीलामी के जरिए प्रदान करने, खनन कार्यों से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना करने, गवेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास (एनएमईटी) की स्थापना करने और अवैध खनन रोकने के लिए अधिक कठोर दंड हेतु प्रावधान किए गए थे। पिछले एक वर्ष में, सरकार ने संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने तथा प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के उपरांत सभी आवश्यक अधीनस्थ कानूनों को अधिसूचित किया गया। नीलामी की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए केन्द्र सरकार अपने अधीनस्थ संस्थाओं व सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों को हर संभव सहयोग किया है। केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच लगातार बातचीत और विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, अब तक 43 ब्लॉकों की नीलामी के लिए अभी तक निविदा नोटिसें जारी की जा चुकी हैं। इनमें से, हाल ही में 6 ब्लॉकों के संबंध में सफल बोलीदाता प्राप्त हुए हैं। देशभर में पहले छह खनिज ब्लॉकों की नीलामी से राज्यों को पट्टा अवधि के दौरान करीब 18,146 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इसमें से करीब 13032 (लगभग 13,000) करोड़ रुपये नीलामी के प्रावधान किए जाने से अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी और 5113 करोड़ रुपये रॉयल्टी, डीएमएफ और एनएमईटी मदद में प्राप्त होगी। सरकार द्वारा विगत दिनों रॉयल्टी की दर में वृद्धि से राज्यों को पहले की तुना में करीब 1313 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रॉयल्टी प्राप्त होगी। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि डीएमएफ और एनएमईटी का प्रावधान तथा रॉयल्टी दर में वृद्धि का निर्णय वर्तमान सरकार का है। अतः 6 ब्लॉक्स की नीलामी से राज्यों को 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होगा जिसमें करीब 14,893 करोड़ रुपये का राजस्व वर्तमान सरकार की पहलों का परिणाम है।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डीएमएफ के गठन के उद्देश्यों से क्रियान्वित के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के शुभारंभ दिनांक 17 सितम्बर, 2015 को हो चुका है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के माध्यम से खनन से प्रभावित होने वाले व्यक्ति और क्षेत्र के कल्याण और विकास कार्य भी अनेक राज्यों के द्वारा प्रारंभ किए जा रहे हैं। यह आकलन है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए डी.एम.एफ में प्रति वर्ष 6000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी।

[Placed in Library, See No. LT 4366/16/16]

12.09 hours

-